न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निवाई, जिला टोंक

पीठासीन अधिकारी :— प्रीति मीणा, (RAS)

प्रार्थना पत्र सं0—22/2025

प्रविष्टि दिनांक—21.01.2025

रामसिंह पुत्र भागुता जाति मीणा उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम सिरस तहसील निवाई जिला टोंक

बनाम

प्रार्थी

तहसीलदार निवाई तहसील निवाई जिला—टोंक

— अप्रार्थीगण

उपस्थित— अधिवक्ता श्री कौशल किशोर जाट —प्रार्थी

पेरोकार सरकार— तहसीलदार निवाई

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136, भू—राजस्व अधिनियम

दिनांक 12/1/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की कृषि आराजियात जमाबन्दी संवत 2070—2073 के खाता संख्या 35, 103, 100, 98, 138, में वर्णित भूमि वाके ग्राम बाढ़ दामोदरपुरा तहसील निवाई जिला टोंक में स्थित है। जिसमें प्रार्थी ब—हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। एवं प्रार्थी का मुताबिक जमाबन्दी हक व हिस्सा निहित है। प्रार्थी की कृषि आराजियात खाता संख्या 138 संवत 2070—2073 जमाबन्दी संवत 2079 में खसरा नम्बर 532/49 वाके ग्राम बाढ़ दामोदरपुरा तहसील निवाई में प्रार्थी का नाम सही अंकित है। प्रार्थी के समस्त राजकीय दस्तावेजों में यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन आधार कार्ड, जॉब कार्ड, बचत खाता पास—बुक, मतदाता पहचान पत्र व सरपंच ग्राम पंचायत मुण्डिया द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी प्रार्थी का नाम रामसिंह पुत्र भागूता अंकित है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों द्वारा प्राथी का नाम गलत अंकित कर दिया है जो कि प्रार्थी का बोलता नाम है। प्रार्थी को मोहल्ले व गांव में सुरज पुत्र भगवता उर्फ भगवन्ता के नाम से जानते है तथा प्रार्थी के राजकीय दस्तावेजों में प्रार्थी का नाम रामसिंह अंकित है। लिहाजा प्रार्थी का नाम सुरज पुत्र भगवता उर्फ भगवन्ता के स्थान पर रामसिंह पुत्र भागुता दुरूस्त किया जाना विधि संगत एवं न्याय संगत है। अतः प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना—पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित कृषि आराजियात में प्रार्थी का नाम सुरज पुत्र भगवता उर्फ भगवन्ता के स्थान पर रामसिंह पुत्र भागुता राजस्व रिकॉर्ड अंकन करने का आदेश फरमावें।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप में जॉब कार्ड की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत मूण्डिया का प्रमाण—पत्र, बैंक डायरी की फोटो प्रति, पहचान पत्र की फोटो प्रति, चालू जमाबन्दी, नामान्तकरण की फोटो प्रति, राशन—कार्ड, जनाधार कार्ड आदि की फोटो प्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली है।

इसके पश्चात प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार निवाई से रिपोर्ट प्राप्त, जो शामिल पत्रावली है। तहसीलदार निवाई से प्राप्त रिपोर्ट का सारांशतः इस प्रकार है कि बिन्दु संख्या 01, 02, स्वीकार है। प्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 532/49 रकबा 0.4759 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम रामसिंह पुत्र भागुता हि 1/4 जाति मीणा नामान्तकरण संख्या 668 दिनांक 08.06.2024 के जरिये आयी है। प्रार्थी के समस्त सरकारी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान—पत्र, बैंक डायरी, इत्यादि में नाम रामसिंह पुत्र भागुता मीणा दर्ज है। प्रार्थी की भूमि प्रार्थी के नाम विरासत से आई है जिसमें प्रार्थी का नाम सुरज पुत्र भगवता/भगवन्ता के बजाय रामसिंह पुत्र भागुता किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम में अधिवक्ता प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

प्रार्थना–पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम सुरज पुत्र भगवता/भगवन्ता के बजाय रामसिंह पुत्र भागुता किये जाने का निवेदन किया। पेरोकार सरकार ने तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट में वर्णित तथ्यों का दोहरान करते हुये प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किये जाने व प्रार्थी का नाम सुरज पुत्र भगवता/भगवन्ता के बजाय रामसिंह पुत्र भागुता किये जाने की सहमति प्रदान की।

हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध तहसीलदार निवाई की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम प्रार्थना–पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित आराजियात में सुरज पुत्र भगवता/भगवन्ता गलत अंकित है। समस्त राजकीय दस्तावेजात में भी रामसिंह पुत्र भागुता अंकित है। तथा पेरोकार सरकार ने भी दौराने बहस प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यो को सही मानते हुए इस्तदुआ स्वीकार की गई। इसलिए न्याय हित व भविष्य में अनावश्यक वादो की बढोतरी को रोकने के लिए इस पर विचार किया जाना उचित है। अतः इकबालिया जवाब, बहस एवं पैरोकार सरकार की रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार करना उचित समझता है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर एवं तहसीलदार निवाई/पेरोकार सरकार की रिपोर्ट/दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निवाई को आदेशित किया जाता है कि प्रार्थना–पत्र के चरण संख्या 02 में वर्णित प्रार्थी की कृषि आराजियात में प्रार्थी का नाम सुरज पुत्र भगवता उर्फ भगवन्ता के स्थान पर रामसिंह पुत्र भागुता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना से अवगत करावे।

निर्णय आज दिनांक 12/1/26 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रीति मीणा)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

उपखण्ड अधिकारी निवाई (टोंक)